क्रमांक 434-2 जी0 एस0-II 75/21469

प्रेषक:

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, अम्बाला तथा हिसार मण्डल के आयुक्त, सभी उपायुक्त एवं उप मण्डल अधिकारी

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय और सभी जिला सत्र न्यायाधीश हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ 17 जुलाई, 1975

**विषय :-** राज्य सरकार के कर्मचारियों को एल0 एल0 बी0 की योग्यता प्राप्त करने पर अग्रिम वेतन वृद्धियां देना ।

**महोदय,**

मुझे आदेश हुआ है कि मैं उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपका ध्यान इस विभाग के पत्र क्रमांक 434-2 जी0 एस0-II-75/7211, दिनांक 13 मार्च 1975 की ओर दिलाऊं जिसके द्वारा सरकार ने यह निर्णय लिया था कि सरकारी सेवा के दौरान जिन कर्मचारियों ने एल0 एल0 बी0 की योग्यता प्राप्त की है उन्हें भी दो अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ इस तिथि से दे दिया जाये। सरकार का अभिप्राय यह था कि जो लाभ सरकार के पिछले पत्र क्रमांक 4857-4 जी एस-II-72/28344, दिनांक 26-9-72 द्वारा जारी की गयी हिदायतों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सेवा के दौरान एम0ए0 की योग्यता प्राप्त करने पर दिया जाता था वही लाभ अन्य कर्मचारियों को इसी प्रकार सेवा के दौरान एल0 एल0 बी0 की योग्यता प्राप्त करने पर भी दे दिया जावे बशर्ते यह योग्यता उन कर्मचारियों के पदों के लिये निर्धारित योग्यताओं से उच्चतर हो। सरकार के उक्त पत्र क्रमांक 4857-4 जी0एस0-II-72/28344, दिनांक 26-9-72 द्वारा जारी की गयी हिदायतों के अनुसार एम0ए0 की डिग्री प्राप्त करने पर इस प्रकार का लाभ केवल उन्हीं मामलों में दिया जा सकता था जिन्होंने सरकारी सेवा के दौरान तथा इन हिदायतों के जारी होने की तिथि अर्थात 26-9-72 के पश्चात यह एम0ए0 की योग्यता हासिल की। स्पष्टतः इसी प्रकार का सिद्धांत सरकारी कर्मचारियों को एल0 एल0 बी0 की योग्यता प्राप्त करने पर लाभ देने के लिये भी लागू किया जाना था। इसका यह अर्थ यह था कि सरकारी सेवा के दौरान व 26-9-72 के बाद जिन कर्मचारियों ने एल0 एल0 बी0 की योग्यता प्राप्त की उन्हें यह लाभ 13-3-75 से दिया जाना था तथा 13-3-1975 के पश्चात यह योग्यता हासिल करने वाले कर्मचारियों को यह लाभ इस अतिरिक्त योग्यता प्राप्त करने की तिथि से दिया जाना था । परन्तु सरकारी नोटिस में आया है कि कई विभागों द्वारा के मामलों में भी दो अग्रिम वेतन वृद्धियां का लाभ दिया जा रहा है जिनमें संबंधित सरकारी कर्मचारी ने एल0 एल0 बी0 की योग्यता 26-9-72 से पहले हासिल की थी। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार के मामलों में यह लाभ नहीं दिया जाता है तथा यदि किसी विभाग द्वारा गलती से इस प्रकार का लाभ दे भी दिया गया है उसे तुरन्त वापिस ले लिया जाये तथा संबंधित कर्मचारी से इस प्रकार दी हुई राशि की वसूली कर ली जाये। इस विभाग के पत्र क्रमांक 434-2 जी0 एस-II-75/7211 दिनांक 13-3-75 द्वारा जारी की हुई हिदायतों को इस हद तक संशोधित समझा जाये।

2. कृपया इन हिदायतों की कड़ी अनुपालना के लिये नोट करें तथा इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवा

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार